पत्र सं०- एम-4-32/2000/ 7634 /वि0(2),

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।

प्रेषक,

पटना, दिनांक- 28-X-00

श्री भानु प्रताप शर्मा,
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)।

सेवा में,

सदस्य, राजस्व पर्षद,
उपाध्यक्ष, योजना पर्षद,
अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो,
विकास आयुक्त, बिहार,
सभी विभागों के आयुक्त सह सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडल आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त।

विषय:- मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से अनुत्पादक एवं अनावश्यक व्यय में कटौती।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि माननीय मंत्रियों के आप्त सचिवों को आवासीय दूरभाष की सुविधा के संबंध में, पूर्व में निर्गत मितव्ययिता परिपत्र संख्या-एम0-4-32/90-4512/वि0(2), दिनांक-29.8.1990 में अनुमान्यता का उल्लेख नहीं रहने के कारण संदेह की स्थिति बनी हुई थी।

अत: राज्य सरकार ने वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-एम04-32/90/वि0(2), दिनांक-29.8.1990 की कंडिका-9 में एक नई-उपकंडिका-(11) जोड़ने का निर्णय लिया है, जो निम्न प्रकार मान्य होगा :-

(11) माननीय कैबिनेट मंत्रियों के आप्त सचिवों में से एक को उनके आवास के लिये एस0टी0डी0 रहित दूरभाष की सुविधा उनके उक्त पद पर बने रहने की अवधि तक अनुमान्य होगी। इसकी व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा की जायेगी।

उक्त सीमा तक परिपत्र संख्या-4512, दिनांक-29.8.1990 को संशोधित समझा जाये।

विश्वासभाजन,

(भानु प्रताप शर्मा)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय), बिहार।

मदन/28.10.2000.

क्र0पृ0उ0.........2.